UPAG010102122021

सेशन केस सं0–142/2021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), आगरा।

उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0–UP06100

राज्य————————————————————————————अभियोजक

बनाम

1– श्रीमती प्रेमिता उर्फ प्रमिता पत्नी स्व0 नरेश कुमार,
वर्तमान पता– डी1/57, सिद्धार्थ नगर, गोबर चौकी, थाना ताजगंज, जिला आगरा, स्थायी पता– पुष्पांजलि होम्स नगला कली, ताजगंज, आगरा।
2– रविकान्त राजपूत,
3– शशिकान्त राजपूत पुत्रगण महेश चन्द्र राजपूत,
निवासीगण– नगला केवल, थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।
——————————अभियुक्तगण

मु0अ0 संख्या 370/2021
धारा 302/34, 201/34 भा0दं0सं0
एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट
थाना ताजगंज, जिला आगरा

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत मामले में थाना ताजगंज, जिला आगरा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 370/2021 के अधीन, अभियुक्ता श्रीमती प्रेमिता उर्फ प्रमिता के विरुद्ध धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 के अंतर्गत तथा अभियुक्तगण रविकान्त राजपूत व शशिकान्त राजपूत के विरुद्ध धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस. टी. एक्ट के अंतर्गत आरोप–पत्र **प्रदर्श क–21** न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार मुकदमा वादी सुरेशचंद पुत्र स्व0 श्री राजाराम, निवासी– डी1/57, सिद्धार्थ नगर, गोबर चौकी, थाना ताजगंज, जिला आगरा द्वारा श्रीमान् थाना प्रभारी, थाना ताजगंज, जिला आगरा पर एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि प्रार्थी सुरेश पुत्र स्व0 श्री राजाराम, गोबर चौकी का निवासी है। आज दिनांक 08.06.2021 को, सुबह लगभग 06.00 ए.एम. मुझे सूचना मिली कि मेरे पुत्र नरेश कुमार की हत्या कर दी गयी है। मैं सूचना पर, मैं अपने बेटे के निवास– पुष्पांजलि होम्स, नगला कली आया तो घर के पीछे खाली प्लाट में मेरे बेटे का शव बोरे में बंधा पड़ा था, जिसकी सूचना मैंने डायल 112 पर सूचना की थी। मुझे पूरा शक है कि मेरे बेटे नरेश कुमार की हत्या में उसकी पत्नी प्रमिता का पूरा हाथ है। आप गहराई से जांच करेंगे, आपको सब बात पता लग जायेगी। रिपोर्ट लिखाने आया हूॅ। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना ताजगंज, जिला आगरा की पुलिस द्वारा अभियुक्ता प्रमिता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, मुकदमा अपराध संख्या–370/2021, धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 08.06.2021 को, समय 10:20 बजे पंजीकृत की गयी तथा विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी को सुपुर्द की गयी।

4– विवेचना विवेचक/प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रारंभ की गयी। दौराने विवेचना अभियोग में धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियोग में एस.सी.एस.टी. एक्ट की वृद्धि होने पर अभियोग की विवेचना मुझ क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिंह द्वारा ग्रहण की गयी। अब तक तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान चिकित्सक, बयान पंचायतनामा गवाह, सीडीआर लोकेशन, परिस्थितिजन्य साक्ष्य आदि साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण रविकान्त राजपूत व शशिकान्त राजपूत के विरुद्ध धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अर्न्तगत तथा अभियुक्ता श्रीमती प्रेमिता उर्फ प्रमिता के विरुद्ध धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध किये जाने के बावत आरोप–पत्र प्रदर्श क–21 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने पर अभियुक्ता श्रीमती प्रेमिता उर्फ प्रमिता के विरूद्ध धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 तथा अभियुक्तगण रविकान्त राजपूत व शशिकान्त राजपूत के विरुद्ध धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस. टी. एक्ट के अर्न्तगत अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन अभिलेखों की नकलें प्रदान की गयीं।

6– अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2022 को अभियुक्ता श्रीमती प्रेमिता उर्फ प्रमिता के विरूद्ध धारा 302/34 व 201/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तथा अभियुक्तगण रविकान्त राजपूत व शशिकान्त राजपूत के विरुद्ध धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस. टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

7– मौखिक साक्ष्य अभियोजन साक्षीगण–

पी0डब्लू0 1	वादी मुकदमा, सुरेशचन्द (मृतक का पिता)
पी0डब्लू0 2	सोनू (मृतक का भाई)
पी0डब्लू0 3	राजू
पी0डब्लू0 4	डा0 रविन्द्र कुमार सिंह (पंचायतनामा गवाह)
पी0डब्लू0 5	एच.एम. श्यामसुंदर
पी0डब्लू0 6	उपनिरीक्षक/विवेचक शैलेन्द्र सिंह चौहान

पी0डब्लू0 7	उपनिरीक्षक केवल सिंह
पी0डब्लू0 8	तत्कालीन विवेचक/क्षेत्राधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह
पी0डब्लू0 9	निरीक्षक/विवेचक उमेशचन्द त्रिपाठी
पी0डब्लू0 10	लवली (मृतक की पुत्री)

8– अभियोजन की ओर से निम्न प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है–

क.सं.	अभियोजन प्रलेखों का विवरण	प्रदर्श
1	तहरीर	क–1
2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	क–2
3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–3
4	जी0डी0 नं0 36 की कम्प्यूटराइज्ड प्रति	क–4
5	पत्र प्रतिसार निरीक्षक	क–5
6	पत्र सी.एम.ओ.	क–6
7	चालाननाश	क–7
8	फोटोनाश	क–8
9	पंचायतनामा	क–9
10	जीओ कम्पनी का पत्र	क–10
11	65बी का प्रमाणपत्र	क–11
12	कैफ	क–12
13	सीडीआर	क–13
14	जीओ कम्पनी द्वारा प्राप्त पत्र	क–14
15	65बी का प्रमाणपत्र	क–15
16	कैफ	क–16
17	वोडाफोन–आइडिया कम्पनी द्वारा प्राप्त पत्र	क–17
18	65बी का प्रमाणपत्र	क–18
19	कैफ	क–19
20	सीडीआर	क–20
21	आरोपपत्र	क–21
22	नक्शानजरी	क–22
23	नक्शानजरी	क–23
24	फर्द बरामदगी (एक अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी)	क–24
25	फर्द बरामदगी (एक अदद कड़ा)	क–25
26	फर्द बरामदगी (एक अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी)	क–26
27	फर्द बरामदगी (एक अदद अद्धा ईंट व एक अदद ईंट)	क–27
28	नक्शानजरी (बरामदगी आलाकत्ल)	क–28
29	नक्शानजरी	क–29
30	वस्तु प्रदर्श	1 लगायत 30
31	विधि विज्ञान प्रयोगशला, उ0प्र0 आगरा की रिपोर्ट	कागज सं. 24क/1–3

9– कथन अभियुक्तगण धारा 313 दं0प्र0सं0

अभियुक्तगण प्रेमिता, रविकान्त व शशिकान्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्ता श्रीमती प्रमिता ने कहा कि मैंने अपने पति/मृतक नरेश कुमार की हत्या ईंट मारकर नहीं की है, न ही कोई साक्ष्य छिपाया है। मैंने अपने पति की हत्या के बारे में कोई सूचना अपने देवर को नहीं दी, सूचना मैंने गायब होने के बारे में दी थी। छत पर खून के धब्बे नहीं मिले, न मैंने देखे, घर से 6–7 मीटर की दूरी पर बेरी में लाश को देखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डा0 ने अपनी मनमानी से बनायी है। उक्त घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे ससुर द्वारा संपत्ति हड़पने के लिए झूॅठा मुकदमा चलाया जाना कहा गया। अभियुक्ता द्वारा कथन किया गया कि मेरे ससुर की दो शादी हुयी थी। मेरे पति पहली पत्नी के थे, इसलिए ससुर हमें संपत्ति से बेदखल करना चाहते थे तथा बंटवारे के संबंध में लड़ाई–झगड़ा होता रहता था। मेरे पति ने ससुर व देवर के खिलाफ एफआईआर की थी तथा संपत्ति को हड़पने की वजह से मेरे खिलाफ झूॅठा मुकदमा कायम किया है। अभियुक्तगण रविकान्त राजपूत व शशिकान्त राजपूत द्वारा कहा गया कि गलत व झूॅठी गवाही दिया जाना, विवेचक द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर विवेचना कर गलत आरोपपत्र प्रस्तुत किया जाना, झूॅठी व गलत बरामदगी किया जाना, झूॅठा मुकदमा चलाया जाना कहा तथा कथन किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने कथन किया गया, परंतु अभियुक्तगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी उनकी और से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। दिनांक 17.06.2026 को अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा झूॅठा बयान दिया जाना, झूॅठा मुकदमा चलाया जाना कहा तथा कथन किया कि अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, पुलिस द्वारा झूॅठा फंसाया गया है।

10– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 1 वादी मुकदमा, सुरेश चंद/(मृतक का पिता)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं जाटव जाति का हूॅ। अभियुक्तगण शशिकान्त, रविकान्त राजपूत जाति से है और परमीता जाटव जाति से है जो मेरे मृतक बेटे नरेश की पत्नी है। घटना दिनांक 08.06.2021 की, सुबह करीब 06.00 बजे की है। मेरा बेटा नरेश नगला कली, पुष्पांजलि होम में निवास करता था। मुझे सूचना मिली कि मेरे लड़के सोनू को फोन से परमीता ने सूचना दी थी कि तुम्हारे भाई नरेश का मर्डर कर दिया गया है। इस बात की सूचना मेरे छोटे बेटे सोनू ने घर आकर मुझे बताया था कि नरेश की हत्या हो गयी है। मैं नगला कली, जहां मेरा बेटा रहता था, वहां पर पहुॅचा था। मैं कमरे के अंदर गया तो दीवारों व फर्श पर खून के धब्बे

मिले और सामान अस्त–व्यस्त पड़ा था। फिर मैं छत पर गया तो मैंने देखा कि मकान के पीछे 10–20 लोगों की भीड़ लग रही थी तो मैं भी वहां पहुँच गया। मैंने देखा कि बोरे में मेरे बेटे की लाश वहां पडी थी, मकान के पीछे प्लाट पर पड़ी थी, मेरे बेटे की लाश। 112 नम्बर पर मैंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस वहां पर आ गयी थी। घटनास्थल पर लाश के पास एक ईंट और अद्धा खून से सने मिले और लाश से 100 मीटर की दूरी पर एक बोरा मिला, जिसमें बेडशीट, तकिया, गलब्स, कपड़े और मेरे नाती की बेल्ट बोरे में अंदर बंधी हुयी मिली थी। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की, जिसमें बॉड़ी को सीलकर पोस्टमार्टम गृह आगरा में ले गए। पंचायतनामा की कार्यवाही पुलिस ने की थी। मुझे पहले से शक था कि मेरे बेटे की हत्या मेरे बेटे नरेश की पत्नी परमीता व उसके प्रेमी रविकांत और शशिकांत ने मिलकर की है, जिसकी सूचना मैंने थाने पर दी थी। मैंने थाने पर जो तहरीर दी थी, वो अपने अपने पड़ौसी दीपक से लिखवाकर दी थी जो दीपक ने मेरे बोलने पर लिखी थी जो पत्रावली पर मूल रूप से मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। इस घटना के संबंध में पुलिस ने मेरे बयान लिए थे और घटनास्थल पर मैं पुलिस के साथ निरीक्षण करने गया था।

11– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 2 सोनू (मृतक का भाई)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं जाटव जाति का हूँ। अभियुक्तगण शशीकान्त, रविकान्त, प्रमीता को मैं जानता हूँ। शशिकान्त, रविकांत को घटना के बाद से जानता हूँ। आज न्यायालय में कटघरे में खडे है। अभियुक्तगण शशिकान्त, रविकान्त राजपूत जाति से है। परमीता मेरी जाति की है जो मेरी सगी भाभी है। घटना दिनांक 08.06.2021 की सुबह 06.00 बजे की है। भाभी परमीता का फोन मेरे फोन पर आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भइया रात से घर पर नहीं आये है तो मैंने तुरन्त यह बात अपने पिता सुरेशचंद को फोन पर बतायी। फिर पापा गाडी लेकर मेरे भाई नरेश/मृतक के घर पर गए और अपने पापा के पीछे–पीछे मैं भी गया था। घर के अंदर इधर–उधर देखा, नहीं मिले, लेकिन छत पर हमें खून के धब्बे दिखायी दिये ओर आस–पास देखने पर पड़ौस के प्लॉट में एक बंधा हुआ बोरा, जो खून से सना था पड़ा दिखायी दिया तो हम लोग तुरन्त उस बोरे के पास पहुँचे और बोरा खोलकर देखा तो उसके अंदर मेरे भाई मृतक नरेश दिखायी दिये। तब मेरे पापा ने 112 पर पुलिस को फोन किया था। फिर पुलिस आ गयी थी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी थी। उसके बाद दूसरे दिन शाम को पुलिस भइया के घर आयी थी, उनके साथ तीनों अभियुक्तगण थे। अभियुक्तगण ने पुलिस से आगे चलकर, अभियुक्त रविकांत ने खाली प्लाट में से एक ईंट का अद्धा व एक ईंट, जो खून से सनी थी, ईंट के अद्धे पर बी लिखा था व ईंट पर एस.बी. लिखा था, को उठाकर लाकर दिया। उक्त ईंटे खून से

सनी हुयी थी और उसने पुलिस को बताया कि हमने मृतक नरेश की हत्या इन्हीं ईंटों से मारकर की थी जिन्हें मैंने यहां पर फेंक दिया था जिनको पुलिस ने कब्जे में लिया और सफेद कपड़े में सील किया और वहीं पर फर्द तैयार की थी। उक्त फर्द पर पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर मौजूद फर्द जब गवाह को दिखायी तो गवाह ने कहा कि यही वह फर्द है जो पुलिस ने मेरे सामने तैयार की थी। उस पर सोनू लिखा है वह मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं आज शिनाख्त करता हूॅ। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान, पूछताछ की थी।

12– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 3 राजू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं जाटव जाति की हूॅ। अभियुक्तगण परमीता, रविकान्त, शशीकान्त में से परमीता को जानता हूॅ, अन्य दोनेां अभियुक्तगण को मैं घटना के बाद से जानता हूॅ। परमीता हमारी जाति की है, अन्य लोग किस जाति के है, मुझे नहीं मालूम। घटना दिनांक 08.06.2021 की है, सुबह 06.45 पर मुझे अपने भाई नरेश की हत्या की सूचना प्राप्त होने पर घटनाथल पर पहॅुचा था। जब मैं वहां पहॅुचा तो वहां पर काफी भीड़ थी और पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने मेरे भाई के शव को अपने कब्जे में ले लिया था और लिखा–पढी की कार्यवाही शुरू कर दी थी। उक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अन्य लोगों के साथ–साथ पंच के रूप में बुलाकर मृत्यु की वजह जाननी चाही थी और हम लोगों को उक्त कार्यवाही में पंच बनाकर हमारे नाम–पते लिखकर, हमारे हस्ताक्षर कराते हुए, मृत्यु की सही वजह जानने हेतु, पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा था। शव को पुलिस ने सील किया था। इस घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था। पत्रावली पर मौजूद पंचातनामा को देखकर कहा कि यह वही प्रपत्र है जो घटनास्थल पर पुलिस ने मेरे सामने तैयार किये थे, जिस पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूॅ।

13– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 4 डा0 रविन्द्र कुमार सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी डयूटी दिनांक 08.06.2021 को शव विच्छेन गृह एस.एन. मेडिकल आगरा पर थी। उसी दिन मृतक नेरश पुत्र सुरेशचंद का शव, शव–विच्छेदन हेतु सिपाही श्याम सिंह व सिपाही मुकेश कुमार, थाना ताजगंज के द्वारा लाया गया। **शव का बाह्य परीक्षण**– शव की उम्र लगभग 35 वर्ष, लम्बाई 5 फुट 6 इंच थी, शव में मृत्यु पश्चात अकड़न पूर्ण रूप से थी, दोनों आंखें व मुंह बंद था। मृतक के शरीर पर निम्न कपड़े पाये गये– एक शर्ट, एक जींस, एक अण्डरवियर व एक बैल्ट थी। **शव का आंतरिक परीक्षण**– दिमाग की झिल्लियां, रक्त वाहिनियां, दिमाग, दोनों फेफड़े, तिल्ली, लीवर तथा दोनों गुरदे हल्के–पीले रंग के थे। दिल के दोनों चैम्बर खाली थे, जीभ के अंदर घाव था, अमाश्य के अंदर पेस्टी खाना मौजूद था। बडी आंत के अंदर मल पदार्थ, गैसे, छोटी आंत के अंदर अर्धपचा खाना, गैस मौजूद थी। पिताश्य आधा

भरा हुआ था, मूत्राश्य खाली था। गर्दन सांस नली, पसलियां, सीना, बड़ी रक्तवाहिनी, उदरकूप, वस्तुगुहा की अस्थियों में कोई असमानता नहीं थी, लेकिन मृतक के सिर पर पीछे की तरफ एक गहरा घाव, जिसका साइज 10 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. तथा सिर क बाई तरफ गहरा जख्म, जिसका माप 8 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. तथा सिर के बीच में गहरा जख्म 4 गुणा 1 गुणा .5 सेमी., सिर के बांयी तरफ, पीछे की तरफ गहरा जख्म, जिसका माप 10 गुणा 1 गुणा 1 सेमी., शव के सिर के बांयी तरफ अगले हिस्से में गहरा जख्म 5 गुणा 1 गुणा .5 सेमी., बांयी आंख के उपर भौंह के पास 2 गुणा 1 गुणा .5 सेमी., दांयी भौंह के पास गहरा जख्म 3 गुणा 1 गुणा .5 सेमी., बांये गाल पर गहरा जख्म 1.5 गुणा 1 गुणा .5 सेमी., नीचे के होंठ पर गहरा जख्म 1.5 गुणा 1 गुणा .5 सेमी., उपरी होठ पर गहरा जख्म 1 गुणा .5 गुणा .5 सेमी., ठुड्डी पर जख्म 2 गुणा 1 गुणा .5 सेमी. तथा गहरा जख्म बांयी तरफ उपर के पलक पर, जिसका साइज 1 गुणा .5 गुणा .5 सेमी. था तथा दोनों तरफ जबड़े की हड्डी टूटी हुयी थी तथा उपर का जबड़ा दोनों तरफ से टूटा हुआ था। नाक की हड्डियां टूटी हुयी थी **मृतक की मृत्यु**– मृत्यु पूर्व आई चोटों की वजह से तथा अत्याधिक खून बहने तथा शोक (Shock) में जाने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम से पहले लगभग मृत्यु हुए 3–4 का समय व्यतीत हो चुका था। उक्त पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफरी की गयी थी। वीडियोग्राफरी की चिप सील करके संबंधित पुलिसकर्मियों को दे दी गयी थी। उक्त पी.एम. रिपोर्ट मैंने अपने स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी जो पत्रावली पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। उक्त पी.एम. करते समय मृतक के शव से प्राप्त करके सील करके संबंधित पुलिसकर्मियों को दिये गये थे।

14– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 5 एच.एम. श्यामसुन्दर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.06.2021 को थाना ताजगंज में बतौर एच.एम. पद पर कार्यरत था, उसी दिन मुकदमा वादी सुरेशचंद से लिखित तहरीर के आधार पर कम्पयूटर पर चिक एफआईआर अजयपाल से टाइप करायी थी। एफआईआर की कम्प्यूटरीकृत प्रति पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया, जिसका खुलासा उसी दिन जी.डी. नं. 36, समय 10.20 बजे कम्प्यूटर पर किया गया जिसकी प्रति पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

15– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 6 उपनिरीक्षक शैलेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.06.2021 को थाना ताजगंज चौकी पर बतौर चौकी इंचार्ज तैनात था। उसी दिन 112 की सूचना इवेन्ट पर सूचना मिली तो मैं मय हमराह नगली कली पर पहुॅचा, जहां पर मृतक नरेश का शव, उसके मकान के पीछे की तरफ खाली प्लाट में चित अवस्था में पड़ा था। मेरे द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं मृतक की सही मृत्यु वजह जानने के

लिए नियुक्त पंचान कर उनसे मृत्यु बावत राय जानी थी। तत्पश्चात मैंने शव को सील कर पोस्टमार्टम हेतु एस.एन. अस्पताल की मोरचरी भेज दिया था। उक्त पंचायतनामा की कार्यवाही करते समय मैंने पत्र आर.आई., पत्र सी.एम.ओ., चालाननाश, फोटोनाश तैयार किये थे। उक्त सभी प्रपत्र पत्रावली पर मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में मौजूद है। पत्र आर.आई. पर **प्रदर्श क–5,** पत्र सी.एम.ओ. पर **प्रदर्श क–6,** चालाननाश पर **प्रदर्श क–7,** फोटोनाश पर **प्रदर्श क–8,** पंचायतनामा पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

16– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 7 उपनिरीक्षक केवल सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 09.06.2021 को थाना ताजगंज में चौकी प्रभारी के पद पर तैनात था। उसी दिन प्रभारी निरीक्षक उमेशचंद त्रिपाठी मय हमराही मय जीप सरकारी मय ड्राईवर अरविंद कुमार, अभियुक्ता गिरफ्तारशुदा को लेकर घटनास्थल पुष्पांजलि होम्स, नगला कली पर आये थे। वहां पर मुकदमा वादी सुरेशचंद व संजय मौजूद मिले। मकान का ताला खुलवाकर, अभियुक्ता प्रेमिता द्वारा ड्राइंग रूम के बांये कोने में रखी सेफ को अपने दाहिने हाथ से खोलकर, सेफ की बीच वाली दराज से एक कडा निकालकर प्रभारी निरीक्षक को दिया था, जो कि लाल रंग का था, जिस पर चमकन लगी हुई थी, जिसके संबंध में फर्द लेने कब्जा रू–ब–रू गवाहान श्री प्रभारी निरीक्षक द्वारा बोल–बोले कर मुझसे लिखायी थी। बरामद कपड़े को मौके पर ही सीलसर्वमोहर किया गया था। उसी दिन गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रविकान्त की निशानदेही पर गवाहान सोनू व संजय, मुकदमा उपरोक्त में हत्या करने में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अद्धा व एक ईंट अभियुक्त द्वारा नरेश के घर के पीछे खाली पड़े प्लाट में झाड़ियों से बरामद करायी थी। बरामद अद्धे पर अग्रेंजी में 'बी' लिखा है तथा ईंट पर 'बी' लिखा हुआ था। दोनों ईंट खून से सनी हुई थी जिनको मौके पर ही सीलसर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया जिसकी फर्द पत्रावली पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा बोल–बोल कर एल.ई.डी. टॉर्च की रोशनी में मुझ एस.आई. से लिखायी थी। उक्त फर्द तैयार करने के उपरान्त गवाहानों व अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये थे तथा मेरे भी हस्ताक्षर कराये थे। उसी दिन अभियुक्त रविकान्त एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी, रंग काला, जिसका आई.एम.ई. आई. नं. 868493033308816 व 86849303308808, जिसका मो.नं. 9997759581 व दूसरा नं. 8923512214 था, बरामद हुआ। उक्त मोबाइल को सीलसर्वमोहर कर फर्द तैयार की गयी थी। उक्त फर्द को मैंने प्रभारी निरीक्षक के बोलने के उपरान्त स्वयं के हस्तलेख में फर्द लिखी थी। फर्द लिखने के उपरान्त मौके पर अभियुक्त रविकान्त व मैंने प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर कराये थे। उक्त क्रमशः तीनो फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद है जिनकी मैं तस्दीक करता हूँ।

17– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 8 तत्कालीन विवेचक/क्षेत्राधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.07.2021 को क्षेत्राधिकारी सदर के पद पर तैनात था। उसी दिन मुझे मु0अ0सं0 370/2021 की विवेचना प्राप्त हुई। उक्त विवेचना प्रारंभ कर उसी दिन सी.डी. पर्चा किता कर पूर्व किता जी.डी. का अवलोकन कर अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के विरूद्ध धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट की बढोत्तरी हेतु न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की। घटना स्थल पर खींची गयी फोटो प्रतियां प्राप्त हुई। उक्त फोटो प्रतियां पत्रावली पर मौजूद है जिन्हें वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से गवाह को दिखाया गया जिन पर वस्तु प्रदर्श 1 व वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया। उसी दिन मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बयान मृतक पुत्र विनय व मृतक पुत्री लवली, ऋषि उर्फ नहने के अंकित किये। अभियुक्तगण के मोबाइल की लोकेशन/सी.डी.आर. व कैफ की प्रमाणित प्रतियां हेतु एस.एस.पी. आगरा को पत्र प्रेषित किया। घटनास्थल से बरामद माल को एफ.एस.एल. दाखिल कराया। बयान पदम सिंह, बयान संजीव कुमार, बयान छीतर सिंह अंकित किये। विवेचना में 60 दिवस का समय पूर्ण होने पर न्यायालय से समय की मांग हेतु पत्र प्रेषित किया। प्राप्त सी.डी.आर. व कैफ का अवलोकन किया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का अवलोकन कर सी.डी. किया गया। धारा 65बी का प्रमाणपत्र, जो भारतीय एयरटेल लि0 द्वारा जारी किया गया है वह गवाह को वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिखाया गया जिसे गवाह ने तस्दीक किया जिस पर **प्रदर्श क–10,** 65बी प्रमाणपत्र पर **प्रदर्श क–11,** प्राप्त कैफ पर, जो अभियुक्त शशिकान्त के नाम से है, पर **प्रदर्श क–12,** सी.डी.आर. पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। जीओ कम्पनी द्वारा प्राप्त पत्र एवं 65बी प्रमाणपत्र जो पत्रावली पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–14,** 65बी प्रमाणपत्र पर **प्रदर्श क–15** डाला गया। प्राप्त कैफ, जो कि नरेश के नाम है जिस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया। वोडाफो–आइडिया कम्पनी द्वारा प्रापत पत्र पर **प्रदर्श क–17** डाला गया। 65बी प्रमाणपत्र पर **प्रदर्श क–18,** प्राप्त कैफ, जो रविकान्त के नाम है, पर **प्रदर्श क–19,** सी.डी.आर. पर **प्रदर्श क–20** डाला गया। तमामी विवेचना, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया जो गवाह को वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिखा गया तो गवाह ने कहा कि यह वही आरोपपत्र है जिस मेरे हस्ताक्षर है। आरोपपत्र पर **प्रदर्श क–21** डाला गया।

18– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 9 निरीक्षक/विवेचक उमेशचन्द त्रिपाठी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.06.2021 को थाना ताजगंज में थाना प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था, उसी दिन मुझे मु0अ0सं0 370/21 की विवेचना प्राप्त हुई। उक्त विवेचना प्रारंभ कर नकल तहरीर, नकल रपट, बयान वादी सुरेशचंद, निरीक्षण घटनास्थल, निरीक्षण बरामदगी स्थल का नक्शानजरी हस्तलेख में तैयार किये

थे। पत्रावली पर मौजूद घटनास्थल नक्शानजरी पर मेरे हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–22** डाला गया एवं जहां से खूनआलूदा कपड़े बरामद हुए थे, नक्शानजरी मेरे हस्तलेख में है जिस पर **प्रदर्श क–23** डाला गया। फर्द बरामदगी एक मोबाइल फोन, जो अभियुक्ता प्रमिता से बरामद हुआ, उसकी फर्द बरामदगी पत्रावली पर मेरे हस्ताक्षर में मौजूद है जिसको तैयार करते समय मौके पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये थे। उक्त फर्द बरामदगी पर **प्रदर्श क–24** डाला गया। अभियुक्ता के जुर्म इकबाल करने के उपरान्त तुरन्त अभियुक्ता की गिरफ्तारी की गयी एवं अभियुक्ता के बयान के आधार पर अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त का नाम प्रकाश में आया एवं अभियुक्ता द्वारा घटना के समय पहने हुए कड़े की बरामदगी उसके बताये अनुसार घर की अलमारी से की गयी। उक्त फर्द पत्रावली पर मेरे हस्ताक्षर में है जिस पर **प्रदर्श क–25** डाला गया। अभियुक्त रविकान्त को रमाडा कट के पास गिरफ्तार कर जामातलाशी में एक मोबाइल वीवो कम्पनी, रंग काला बरामद हुआ जिसकी फर्द मौके पर तैयार की गयी जो पत्रावली पर मेरे हस्ताक्षर में है जिस पर **प्रदर्श क–26** डाला गया। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल ईंट बरामद कर फर्द तैयार की गयी जिस पर **प्रदर्श क–27** डाला गया। अभियुक्त शशिकान्त को गुतिला मोड़ से मय मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर गिरफ्तार किया गया। निरीक्षण बरामदगीस्थल आलाकत्ल तैयार किया। उक्त नक्शानजरी पत्रावली पर मेरे हस्ताक्षर में मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–28** डाला गया। मेरे द्वारा मृतक नरेश का हत्या करने वाला संभावित स्थान का नक्शानजरी किया था जो पत्रावली पर मेरे हस्ताक्षर में मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–29** डाला गया। दौराने विवेचना सामने आया कि मृतक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था तथा अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त ओ.बी.सी. जाति लोधी के है। जातिप्रमाणपत्र के आधार पर अभियोग में धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

विवेचना के दौरान मेरे द्वारा मौके से घटना के संबंध में कुछ चीजें बरामद की थी जिनकी बरामदगी के उपरांत मेरे द्वारा फर्द तैयार की थी। बरामदशुदा माल आज न्यायालय में सीलबंद बोरे में मौजूद है, बोरे पर मु0अ0सं0 370/21 लिखा है एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की चिट लगी हुई है जिससे न्यायालय की अनुमति से खोलने पर उक्त बोरे में से एक अदद ईंट, एक अदद ईंट का अद्धा, जिसे अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया था जिसे मेरे द्वारा एफएसएल भेजा गया था जिस पर वस्तु प्रदर्श 3 व वस्तु प्रदर्श 4 डाला गया। उक्त बोरे में से एक नीले रंग की जींस पर वस्तु प्रदर्श 5, एक तकिया वस्तु प्रदर्श 6, एक सोफे का कुशन वस्तु प्रदर्श 7, एक पैरदान कपड़े का वस्तु प्रदर्श 8, चार तकिये के कवर वस्तु प्रदर्श 9 व वस्तु प्रदर्श 12, एक बैडशीट वस्तु प्रदर्श 13, काले गहरे कलर की जींस वस्तु प्रदर्श

14, ब्लयू शर्ट वस्तु प्रदर्श 15, एक अण्डवियर वस्तु प्रदर्श 16, दो बेल्ट कपड़े की वस्तु प्रदर्श 17 व वस्तु प्रदर्श 18, दो सर्जीकल गिलवास वस्तु प्रदर्श 19, एक बोरा टाट का वस्तु प्रदर्श 20, एक काले कलर की डिश का धोती वस्तु प्रदर्श 21, एक प्लास्टिक की टोटी वस्तु प्रदर्श 22, तकिये का कवर वस्तु प्रदर्श 23, एक पॉलीथीन की थैली वस्तु प्रदर्श 24, दो बोरे टाट के वस्तु प्रदर्श 25 व 26 डाला गया। ईंट व अद्धे को छोड़कर अन्य सभी वस्तु प्रदर्श फील्ड यूनिट द्वारा मेरे सामने मौके से बरामद किया था। मेरे द्वारा अभियुक्ता प्रेमिता के कब्जे से एक अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का रंग नीला बरामद किया गया जो सीलबंद अवस्था में न्यायालय में मौजूद है जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। मोबाइल पर वस्तु प्रदर्श 27 व पुलिंदा पर वस्तु प्रदर्श 28 डाला गया। एक अन्य सीलबंद पुलिंदा जिस पर एक अदद मोबाइल वीवो रंग काला अभियुक्त रविकान्त लिखा है, मोबाइल पर वस्तु प्रदर्श 29 व पुलिंदा पर वस्तु प्रदर्श 30 डाला गया।

19– साक्षी **पी0डब्ल्यू0 10 लवली (मृतक की पुत्री)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिताजी की मृत्य दिनांक 08.06.2021 को हो चुकी है। उस दिन मेरे मम्मी–पापा घर पर थे। हम लोग तीन भाई–बहन है। घटना वाले दिन मम्मी–पापा में विवाद/झगड़ा हो रहा था। मम्मी ने मोबाइल फोन देकर, हम भाई–बहन को कमरे में बंद कर दिया था और पीने के लिए कोल्डड्रिंक दे दिया, बाहर से कुण्डी बंद कर दी और बाहर से लड़ाई–झगड़ा व मारपीट की आवाज सुनायी दे रही थी। डर के मारे हम भाई–बहन चुपचाप सो गये। लगभग 03.00 बजे मेरी नींद खुली, मैंने कुण्डी खुलवायी तो मम्मी ने डॉट दिया और कहा चुपचाप सो जा। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, जब मैं बाहर निकली तो बैड पर खून के धब्बे थे। मम्मी रात को नहाई थी। दीवार पर नाखून के निशान थे और दीवार पर खून भी लगा था। हमने डरते–डरते पापा के बारे में पूछा, क्योंकि पापा घर में दिख नहीं रहे थे, तभी मम्मी ने कहा छत पर सो रहे होंगे और छत पर दिखाने ले गयी। पापा छत पर भी नहीं थे। वॉचमैन के पास लेकर गयी, उनसे भी हमने पूछा था, वह कुछ बता नहीं पाया। सुबह–सुबह पता चला कि पापा पीछे मरे हुए पड़े थे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मम्मी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे पापा की हत्या कर दी। हम लोगों के कमरे में बंद होने के पश्चात रविकान्त व शशिकान्त अंकल भी मेरे घर आये थे, वह लोग पहले से आते–जाते थे, इसलिए मैं उनकी आवाज पहले से अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैंने उस दिन रात में मम्मी के अलावा रविकान्त व शशिकान्त की आवाज भी सुनी थी। पुलिस अंकल ने जो अधिकारी लग रहे थे, उन्होंने हमसे पूछताछ किया था।

20– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर अभियुक्ता प्रेमिता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दाखिल माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं का परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

21– अभियुक्तगण प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त व शशिकान्त के विरूद्ध यह आरोप है कि दिनांक 08.06.2021 से पूर्व किसी समय, स्थान किसी अज्ञात स्थान पर/ खाली प्लाट पुष्पांजलि होम्स, नगला कली, थाना ताजगंज, जिला आगरा के अंतर्गत आपने अन्य साथियों के साथ एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकमा सुरेशचन्द्र के पुत्र नरेश कुमार की ईंट व अद्धा से मारकर हत्या कारित की तथा उसके शव को बोरे में बांधकर उक्त स्थान पर छिपाकर किये गये अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया तथा अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र/मृतक नरेश कुमार को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, की हत्या कारित कर उसके शव को साक्ष्य विलोपन के आशय से छिपा दिया।

22– अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये आरोपों को अभियोजन के साक्षियों द्वारा संदेह से परे साबित कराया गया है। अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को भी साबित कराया गया है। साक्षीगण पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा सुरेशचंद, पी0डब्लू0 2 सोनू, पी0डब्लू0 3 राजू व पी0डब्लू0 10 लवली द्वारा अपने साक्ष्य से घटना का समर्थन किया गया है तथा साक्षी पी0डब्लू0 10 लवली घटना की चश्मदीद साक्षी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण को सख्त से सख्त दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी।

23– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के चश्मदीद गवाह पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा सुरेशचंद, पी0डब्लू0 2 सोनू, पी0डब्लू0 3 राजू पिता व पुत्र है तथा पी0डब्लू0 10 लवली, मृतक नरेश कुमार की पुत्री है इसलिए उक्त सभी साक्षीगण हितबद्ध है, उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हो सकता है। साक्षीगण की साक्ष्य में भिन्नता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। सी.डी.आर. में अभियुक्तगण की लोकेशन अलग–अलग पायी गयी है तथा घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है तथा घटनास्थल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है। अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है।

24– बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का कोई हेतुक नहीं है। अभियोजन पक्ष की

ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का हेतुक पर्याप्त है। पत्रावली पर सी.डी.आर. के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता प्रेमिता व अभियुक्तगण के बीच 118 बार बातचीत हुई है। मृतक नरेश के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था कि उसकी पत्नी/अभियुक्ता सोने–चांदी के जेवरात सहित, अभियुक्त रविकान्त के साथ भागकर शिकोहाबाद चली गयी थी। फील्ड यूनिट द्वारा मृतक की छत की रेलिंग पर, मृतक के खून का सेम्पल लिये गये थे। फील्ड यूनिट द्वारा अभियुक्ता प्रेमिता का घटना के समय हाथ का कड़ा टूटा हुआ पाया गया तथा घटना के समय हाथ के दस्ताने भी मिले जिसे फिंग्रर पिन्ट कर नमूना मिलाने के लिए घटना में शामिल किया गया। घटनास्थल से खून से सने कपड़े पाये गये तथा मृतक की हत्या में प्रयुक्त ईंट व अद्धा भी पाये गये। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का पर्याप्त हेतुक है।

25– बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी मुकदमा ने अपनी पुत्रवधू पर कोई लांछन नहीं लगाया है। मृतक नरेश व उसकी पत्नी पर पारिवारिक मारपीट के कई मुकदमे चल रहे है। तथ्य के सभी साक्षीगण हितबद्ध गवाह है। घटनास्थल के नक्शानजरी में आस–पास का कोई साक्षी नहीं है। घटना में अभियुक्ता प्रेमिता का कोई मोटिव नहीं है, जबकि मृतक के पिता व उसके बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मानव रक्त पाया गया है। अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त का मृतक के घर आने–जाने का कोई साक्ष्य नहीं है तथा अभियुक्त प्रेमिता व अभियुक्त रविकान्त के बीच प्रेम संबंध का भी कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण किस वाहन से आये, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। वादी मुकदमा ने मृतक को संपत्ति से बेदखल कर रखा था तथा इसकी सूचना समाचारपत्र में भी प्रकाशित करायी थी क्योंकि मृतक ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था इसलिए मृतक 5–6 साल से अलग रहता था। मृतक नरेश ने मृत्यु पूर्व वादी मुकदमा व अन्य किसी को अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के बारे में कभी नहीं बताया था।

26– बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह का तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रदर्श क–1 तहरीर में घटना दिनांक 08.06.2021, समय सुबह लगभग 06.00 ए.एम. बजे अंकित है। प्रदर्श क–3 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना की रिपोर्ट थाना ताजगंज आगरा में दिनांक 08.06.2021 को, समय

10.20 बजे दर्ज की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **मुकेश बनाम केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली ए0आई0आर0 2017 सुप्रीम कोर्ट 2161** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाए जाने का पर्याप्त कारण अभियोजन द्वारा दिया गया है, तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है। बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क बलहीन है तथा स्वीकार किए जाने योग्य नही है, खण्डित किया जाता है।

27— **पी0डब्ल्यू0—1 वादी मुकदमा, सुरेशचंद** द्वारा **जिरह** में कथन किया गया कि— मेरे तीन बेटे व तीन बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटा मृतक नरेश खत्म हो गया है। यह कहना सही है कि मेरा बेटा/मृतक नरेश हम परिवारवालों से अलग अपनी पत्नी के साथ नगला कली, सिटी होम में किराये के मकान में रहता था। मैंने हिन्दुस्तान अखबार में बेटे/मृतक को बेदखल करने के लिए इश्तहार दिया था। यह बात सही है कि मेरा बेटे/मृतक के गलत शोभित में पड़ जाने के कारण लोगों का पैसा उधारी के कारण हम परेशान हो गए थे, इसलिए मैंने उसे बेदखल कर दिया था। यह कहना सही है कि थाना ताजगंज पर मु0अ0सं0 1008/2015, घरेलू बंटवारे के विवाद को लेकर हम लोगों के खिलाफ था जिसमें मेरी तीनों बेटी व बेटे व पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। मेरे बेटे संजय ने भी अ0सं0 107/2016 में मृतक नरेश व उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर करायी थी। इस मुकदमे में पुलिस को मेरे द्वारा दी गयी तहरीर में अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त का नाम नहीं लिखा गया है। मैंने दरोगाजी को बयान में अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त का नाम नहीं बताया था, उनकी जानकारी मुझे बाद में हुयी थी। मृतक नरेश के हस्ताक्षर हुए प्रार्थनापत्र दौराने विवेचना प्राप्त हुआ था, उसमें अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त का नाम लिखा था तथा अभियुक्ता प्रमिता द्वारा दो लाख रूपये व जेवर ले जाने की बात भी लिखी थी। मैं अपने बेटे/मृतक से घटना से पहले 8—10 दिन पहले नगला कली में उसके घर पर मिला था। हमारा विवाद खत्म हो गया था। सुबह 05—30, 05—45 बजे करीब बेटा/मृतक की हत्या की सूचना मिली थी। यह सूचना मुझे छोटे बेटे सोनू के द्वारा मिली थी। मेरे बेटे सोनू ने घटनास्थल पर पहुॅचकर घटना की सूचना दी थी। यह कहना सही है कि मेरे बेटे/मृतक नरेश की हत्या मेरे सामने नहीं की गयी थी। यह कहना सही है कि मेरे बेटा/मृतक की हत्या अभियुक्तगण को छोड़कर और किसी के सामने नहीं हुई। मेरे बेटे/मृतक के एक बेटी व दो बेटे हैं। यह बात सही है कि घटना वाले समय तीनों बच्चे घर पर थे। यह बात सही है कि मेरे बेटे सोनू ने अपने भाई/मृतक की लाश को देखकर 100 नम्बर पर फोन नहीं किया था, फोन मैंने किया था। मेरे साथ सोनू व संजय रहते थे, मृतक

नरेश अलग रहता था। मेरा बेटा जूते की फैक्टरी गोबर चौकी पर चलाता था, उसकी फैक्टरी में 15–20 आदमी काम करते थे। 112 नम्बर पर फोन मैंने सुबह 06.00 बजे किया था। यह बात सही है कि मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट शक के आधार पर लिखायी थी। मैं जब घटनास्थल पर सुबह पहुॅचा, तब बोरा सीलबंद था। मौहल्ले में जब हल्ला हो गया था कि आपके बेटे की हत्या हो गयी है, तब मैंने पुलिस को फोन किया था। मेरे पहुॅचने के 10–15 मिनट बाद पुलिस मेरे सामने आयी थी, तब पुलिस ने आकर बोरा खोला था। मेरा बेटा/मृतक बोरे के अंदर ही था। बोरे दो थे, लाश पर एक बोरा ऊपर से चढ़ा था और दूसरा नीचे की ओर से चढ़ा था। मेरा बेटा/मृतक मुझसे 8–10 साल से अलग रह रहा था, शादी के बाद से अलग रह रहा था। यह कहना सत्य है कि मेरे बेटा/मृतक की पत्नी का व्यवहार मेरे परिवारीजन के साथ अच्छा नहीं था, झगडालू टाइप की थी, इस कारण मैंने अपने लड़के व बहू को अलग कर दिया था। मेरे बेटे/मृतक ने मृत्यु से पहले मुझे फोन पर यह बात बतायी थी कि पत्नी लड़ती–झगड़ती है। मेरी एक ही शादी हुई है। मेरे तीन मकान है, ये तीनों मकान मैंने तीनों बच्चों के लिए अलग–अलग बनाये है। मैं जूते का व्यापार करता हूॅ। मेरा बेटा/मृतक नगला कली वाले मकान में रहता था, मेरे मकान की मृतक के मकान से दूरी 4–5 किलोमीटर होगी। मैं सूचना मिलते ही तुरन्त चल दिया था, मेरे साथ घटनास्थल पर मेरी पत्नी गयी थी। जिस बेटे ने सूचना दी थी वह मुझसे पहले घटनास्थल पर पहुॅच गया था। मैं घटनास्थल पर एक्टिवा से गया था। घटनास्थल पर मेरे भाई–भतीजे आदि, जिन्हें पता चला था, वह सब आ गए। मैं पहले अपने बेटे के घर पहुॅचा, बाद में शव के पास पहुॅचा। जब मैं पहुॅचा तो अभियुक्ता प्रेमिता मिली थी, घर पर और कोई नहीं मिला था। पुत्रवधू/अभियुक्ता के बच्चे मिले थे। मैंने बच्चों से पूछताछ की तो बच्चों ने बताया कि कमरे में बंद कर दिया, कोल्डड्रिंक दे दी थी और टी.वी. की आवाज बढ़ा दी थी। जब मैं पहुॅचा तो बच्चे बाहर थे, मुझे बच्चों ने अपने आप बताया था, मैंने पूछा भी नहीं था। मैंने अपनी पुत्रवधू/अभियुक्ता से अपने बेटे/मृतक की हत्या के बारे में नहीं पूछा था। शव के पास 100–20 लोग जमा थे, जब मैं पहुॅचा था। मैंने अपने बेटा/मृतक के शव को बोरे में देखा था। मैंने माथे पर चोट देखी थी। घटनास्थल पर गोबर चोकी के परिवारीजन व पड़ौसी मौजूद थे। घटनास्थल पर पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। पुलिस के जाने के बाद मैं थाने गया था। घटनास्थल से थाना स्कूटर से गया था, साथ में मेरा भतीजा राजू गया था। मैंने थाने पर इंस्पैक्टर साहब से मिलने के बाद अपने बेटे की हत्या के बारे में तहरीर दी थी। मैंने अपने पड़ौसी दीपक से थाने पर बोलकर तहरीर लिखायी थी, वही तहरीर थाने पर दी थी। थाना से पी.एम. हाउस गया था। पोस्टमार्टम से मुझे बॉडी शाम को मिली थी। मैंने दरोगाजी को अपनी

पुत्रवधू/अभियुक्ता के दुष्चरित्र के बारे में बताया था और अभियुक्त रविकान्त के बारे में भी बताया था। जब मैंने अपने बेटा/मृतक का शव देखा था तो वह कपड़े पहने था, नीली पेन्ट पहने था। मैंने अपने बेटे के सिर पर चोट देखी थी। यह कहना सही है कि मैंने अपने बेटे/मृतक को अपनी आंखों से मारते किसी को नहीं देखा है। यह कहना सही है कि मैंने अपने बेटे/मृतक के शव को बोरे में देखा था। यह कहना गलत है कि मेरे व मेरे बेटे/मृतक के बीच विवाद चल रहा हो, इसी कारण मैंने अपनी पुत्रवधू/अभियुक्ता प्रेमिता का नाम लिखाया हो।

28– **पी0डब्ल्यू0–2 सोनू** द्वारा **जिरह** में कथन किया गया कि– हम तीन भाई और तीन बहनें है। मैं और मेरा भाई संजय, पिता के साथ सिद्धार्थनगर, गोबर चौकी पर रहते थे। करीब आठ साल पहले से मृतक नरेश अपनी पत्नी को लेकर हमसे अलग रहते थे। घटना से पूर्व मेरी भाभी/अभियुक्ता ने मेरे खिलाफ एफआईआर की थी। मेरी भाभी/अभियुक्ता ने हमारे ऊपर थाना ताजगंज में 3–4 एफआईआर की है। यह बात सही है कि घटना से पूर्व मेरा पिता ने मृतक नरेश और उसकी पत्नी/अभियुक्ता को घर से बेदखल कर दिया था। मुझे घटना की सूचना भाभी/अभियुक्ता द्वारा मिली थी। दिनांक 08.06.2021 को, सुबह 06.00 बजे फोन आया था। घटनास्थल पर पहले मेरे पिताजी पहॅुचे थे, बाद में मैं पहॅुचा था। पुलिस को पिताजी ने 112 नम्बर पर फोन किया था। जब पिता द्वारा पुलिस को फोन किया तो उस समय मैं मौजूद था। जहां लाश पड़ी थी, वह घर के पीछे प्लाट में पड़ी थी। जहां लाश पड़ी थी, वहां ईंट–पत्थर, अद्धे पड़े हुए थे। मेरे पहॅुचने के 15 मिनट बाद पुलिस आ गयी थी। पुलिस के आने से पहले कुछ लोग इकठ्ठा थे। जब मैंने पहली बार लाश को देखा था तो वह बोरे के अंदर बंद थी। दो बोरे में लाश बंद थी। चेहरा बोरे के अंदर बंद था और चेहरा दिख नहीं रहा था। पुलिस के आने से पहले पिताजी ने बोरा खोल लिया था और चेहरा खोल लिया था। खून बोरे से बाहर नहीं था। मैंने घटना से पहले अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकांत को नहीं देखा था। यह बात भी सही है कि घटना से पहले भाभी/अभियुक्ता और भाई मृतक नरेश ने अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वह हमारे साथ नहीं रहते थे। यह कहना गलत है कि हमारे और भाई नरेश के बीच प्रोपर्टी को लेकर वाद–विवाद हो और हमने उसकी हत्या करके भाभी/अभियुक्ता और अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त को आरोपी बना दिया हो। पिताजी ने मृतक भाई नरेश को एक प्लाट/मकान गिफ्ट किया था। यह बात गलत है कि पिताजी ने भाई मृतक को गिफ्ट में मकान दिया हो, उसका हमें बुरा लगा हो और हमने उसी को लेकर मृतक नरेश की हत्या कर दी हो।

मैं जूते की मजदूरी करता हूॅ। मुझे मेरे मृतक भाई नरेश की सूचना मेरी

भाभी/अभियुक्ता से फोन द्वारा मिली थी। सूचना सुबह 06.00 बजे मिली थी। यह सूचना दिनांक 08.06.2021 को मिली थी। सूचना के 10–15 मिनट बाद मैं घटनास्थल पर पहुॅच गया था। घटनास्थल पर मैं अकेला गया था, मेरे साथ कोई नहीं गया था। पहले मैं घर गया था। घर से लाश के पास 10–15 मिनट में पहुॅच गया था। मैंने बोरी में बंधे हुए भाई/मृतक की लाश को देखा था। वहां बस्ती के लोग भी इकठ्ठा थे। मेरे पिताजी ने बताया था कि जो बोरे में लाश, मेरे भाई/मृतक नरेश की है। बोरा पिताजी ने खोला था। जब पिताजी ने बोरा खोला था, उस समय मैं वहां मौजूद था, बोरा रस्सी से बंधा था। बोरे को खोलने के बाद मैंने अपने भाई/मृतक नरेश के चेहरे को देखा था। मृतक नरेश के सिर में चोट थी। नाक में चोट थी, चेहरा खून से सना हुआ था। शर्ट खून से सनी हुई थी। मेरे भाई/मृतक की हत्या ईंटों से की गयी थी, वो ईंट मैंने देखी थी, वो ईंट मैंने 09 तारीख को देखी थी। 08 तारीख को मैंने हत्या में प्रयुक्त ईंटे नहीं देखी थी, ईंट मैंने झाड़ियों में देखी थी। भाई/मृतक की लाश से करीब 5–7 मीटर की दूरी पर प्रयुक्त ईंटे देखी थी। जब मैंने ईंट देखी थी तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। पुलिसवालों ने ईंटे वहीं पर दिखायी थी। जो हत्या में प्रयुक्त हुई थी, वह डेढ़ ईंटे थी। इन ईंटों पर स्वास्तिक का निशान था। यह कहना गलत है कि मैंने भाई/मृतक की लाश को ना देखा हो और हत्या में प्रयुक्त सामग्री को देखा हो।

29– **पी0डब्ल्यू0–3 राजू** द्वारा **जिरह** में कथन किया गया कि– मृतक नरेश के पिता सुरेश मेरे सगे चाचा है। घटना की सूचना 06.45 बजे, जब मैं घर पर था, तब मिली थी। बस्ती के लोगों से पता चला था कि मृतक नरेश का मर्डर हो गया है। मैं सूचना मिलने के करीब 10 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुॅच गया था। जब मैं घटनास्थल पर पहुॅचा तो घटनास्थल पर मेरे चाचा सुरेश, उनका पुत्र संजय, परिवार के लोग व अन्य और लोग भी थे। जब मैं पहुॅचा तो वहां पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने सिर वाला बोरा खोल दिया था और पैर वाला बोरा नहीं खोला था। पैर मैंने नहीं देखे थे, मैंने पैरों की चोटें नहीं देखी थी। मैंने जांघों पर भी निशान नहीं देखे थे क्योंकि जांघों पर भी बोरा चढ़ा हुआ था। मेरे सामने पुलिस ने लिखा–पढी की कार्यवाही की थी। मैंने स्वयं मृतक नरेश के शव को देख लिया था और फिर पंचायतनामा पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने 5–6 मिनट बाद मेरे बयान लिये थे। मैंने शव पर चैन, पर्स इत्यादि नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि मौके पर कोई कार्यवाही न हुई हो और थाने पर कार्यवाही की गयी हो।

30– **पी0डब्ल्यू0–10 लवली** द्वारा **जिरह** में कथन किया गया कि– मेरा नाम लवली है, इस समय कक्षा– 06 की छात्रा हूँ। मैं 04 तारीख को अपने दादाजी श्री सुरेशचन्द के साथ बयान देने आयी थी। प्रश्न– आपके दादाजी के अतिरिक्त आपको

किसी अन्य व्यक्तियों ने बयान के बारे में समझाया था या नहीं? उत्तर– जी नहीं, किसी ने मुझे बयानों के बारे में नहीं समझाया था। सरकारी वकील साहब ने बयान देने से पहले मुझे एक बार समझाया था कि आप मेरे प्रश्नों का सही–सही उत्तर दीजियेगा। हम दो भाई और एक बहन हैं। इस समय मेरी उम्र 13 वर्ष है। जो घटना घटी थी, वो आज से 05 साल पहले घटी थी। उस समय मेरी उम्र 08 वर्ष की थी। मुझे 05 वर्ष पहले की घटना हू–ब–हू याद है। कक्षा दो में मेरे स्कूल के पाठयक्रम में साइंस, मैथ्स, इंगलिश, ड्राइंग, इंग्लिश ग्रामर आदि थे। हत्या की घटना के अलावा, मुझे याद है कि मेरे पड़ोस के अंकल, पापा के पैसे लेकर भाग गये थे। मुझे मेरे पापा की हत्या के बारे में उसी दिन पता चल गया था, मुझे समय अभी याद नहीं है लेकिन रात को ही पता पड़ गयी थी। मैंने अपने पापा के शव को रात में नहीं देखा था। मैंने अपने पिता के शव को सुबह होने से पहले देखा था। मैंने अपने पापा के शव को अपनी आँखों से देखा था। जब मैंने पापा के शव को देखा था तब वे पैंट–शर्ट पहने थे। जब मैंने पापा के शव को देखा तो वहाँ आस पास मोहल्ले के अन्य लोग भी खड़े थे। मकान से एक या दो कदम की दूरी पर मेरे पापा का शव था। मेरे पापा बोरी से ढके थे, लेकिन उनका पेट दिख रहा था। मैंने अपने पापा को बोरी में देखा, चेहरा नहीं दिख रहा था। प्रश्न– आपने अपने पापा के शव को देखा, उसके कितनी देर बाद पुलिस आयी? उत्तर– मुझे उस समय घड़ी में समय देखने का ज्ञान नहीं था, मैंने जब अपने पिता का शव देखा तो उसके कुछ देर बाद पुलिस मौके पर आ गयी थी। मैंने अपने पिता के शव के पास लगभग पॉच पुलिस अंकल को देखा था। जहाँ मेरे पिता का शव पड़ा था वहाँ शव के पास पुलिस वाले अंकल थे तथा मोहल्ले के बहुत से लोग थे जो मेरे पिता के शव से थोड़ी सी दूरी पर खड़े थे। मेरे पिता के शव के पास मोहल्ले वालों के अतिरिक्त मेरे दादाजी भी थे। मैं जब अपने पापा के शव के पास पॅहुंची थी तो उस समय मेरी मम्मी/अभियुक्ता वहाँ पर नहीं थीं। जब मेरे पापा हत्या हो रही थी, तब मैं बगल वाले कमरे में बन्द थी। जिस मकान में मैं, मेरे भाई और मम्मी पापा रहते थे उस मकान में तीन कमरे थे, जिस कमरे में हम बन्द थे उस कमरे में जंगला, खिडकी आदि कुछ नहीं था। मैंने अपने पापा की हत्या होते हुए अपनी आँखों से नहीं देखी। घटनास्थल पर अपने पिताजी की हत्या के बाद घर की दीवार पर, बेड पर, मम्मी पर, फर्श पर खून के निशान देखे थे और टूटा हुआ बेड भी देखा था। यह बात सही है कि मैंने दीवार पर नाखून के निशान देखे थे। जब मेरी मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, तब मैंने ये सब निशान देखे थे। मेरे पापा की हत्या ईंटों से हुई थी। मेरे मम्मी–पापा से दादाजी की लड़ाई नहीं चल रही थी। जब मैंने खून के निशान देखे, तब मेरी मम्मी नहाने गयी हुई थीं। मैं अपनी मम्मी से डरती थी, इसलिये मैंने खून के धब्बे के बारे में नहीं पूछा था। मेरे अलावा मेरे अन्य भाइयों ने भी

मम्मी से खून के धब्बे के बारे में नहीं पूछा था। मैं जब छत पर गयी थी तो मैंने छत पर भी खून के निशान देखे थे। यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में दादा के कहने पर झूठी गवाही दे रही हूँ।

यह बात सही है कि मेरे चाचा इस मकान में नहीं रहते, जिस मकान में घटना घटित हुई। चाचा व बाबा हमसे अलग रहते है जो सिद्धार्थनगर, गोबरचौकी में मकान है। मैं घटना से पहले अपने बाबा व चाचा के घर 4–5 दिन पहले पापा के साथ गयी थी, मम्मी मेरे साथ नहीं गयी थी। मैं स्कूल अपने चाचा व बाबा के यहां से घटना के समय स्कूल नहीं जाती थी। यह सही है कि इस घटना के बाद से मैं अपने चाचा व बाबा के साथ घर लगातार रह रही हूँ तथा मेरे दोनों भाई भी वहीं पर रह रहे है। जहां पर घटना घटी थी, वह किराये का मकान था। मकान मालिक का नाम नहीं बता सकता ओर वह वहां नहीं रहते थे। मुझे यह नहीं पता कि मेरे बाबा व चाचा के खिलाफ एफआईआर हुयी थी या नहीं। यह सही है कि घटना के समय मेरी मॉ हम लोगों को स्कूल तैयार करके नहीं भेजती थी, लेकिन यह कहना गलत है कि स्कूल जाने के लिए नास्ता, बेडई व जलेबी बाहर से आती हो। जिस घर में घटना घटित हुई उस घर में टी.वी. है, तब टी.वी. चल रहा था। जिस कमरे में बंद थी, उस कमरे से दूसरे कमरे में टी.वी. चल रहा था, उस टी.वी. की आवाज से बाहर निकलने वाले वाहन, कार, मोटरसाइकिल की आवाज नहीं सुनायी दे रही थी। जिस कमरे में हम सो रहे थे, उस कमरे में खिडकी नहीं थी, इसलिए उस कमरे में से बाहर की कोई चीज दिखायी नहीं दे रही थी। मैंने यह नहीं देखा कि मेरे पापा की हत्या किसने की। मैंने वह कोई हथियार नहीं देखे, जिससे उनकी हत्या की गयी थी। यह कहना गलत है कि मैं चाचा व बाबा के पास रह रही हूॅ और उनके सिखाने पर न्यायालय में आज झूॅठी गवाही दे रही हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं घटना वाले दिन घटनास्थल पर न रही हूॅ।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था भगालू आदि बनाम स्टेट आफ यू0पी0 (2012) 1 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) 813, (2011) 13 एस0सी0 सी0 206 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि इस आधार पर कि गवाह सगे संबंधी हैं साक्षीगण की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही निर्णयज विधि व्यवस्था ***स्टेट आफ यू0पी0 बनाम एम0 के0 एन्थनी 1985 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) 105 ए.आई.आर. 1985 एस0सी0 48*** में यह मत व्यक्त किया गया है कि–

''साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को यह देखना चाहिए कि साक्षी के समस्त साक्ष्य को देखते हुए क्या साक्षी का कथन सत्य प्रतीत होता है। न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में साक्ष्य में आयी हुई कमियॉ,

त्रुटियॉ, दोष को देखते हुए यह देखना चाहिए कि क्या उनके आधार पर साक्षी अविश्वसनीय प्रतीत होता है। अल्प विरोधाभास जिनसे केस की वास्तविकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा साक्ष्य के मूल्यांकन करते समय हाइपर टेक्निकल एप्रोच (सामान्य से अधिक तकनीकी दृष्टिकोण) से बचना चाहिए। सत्य तथा ईमानदार साक्षी भी मुख्य घटना के परे तथ्यों के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न कथन कर सकते है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव करने, निरीक्षण करने, याददाश्त तथा उन्हें प्रस्तुत करने की शक्ति या क्षमता अलग–अलग होती है और यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिपरीक्षा एक शिक्षित परिष्कृत अधिवक्ता और ग्रामीण साक्षी के मध्य अर्थात दो असमान योद्धाओं के मध्य मल्लयुद्ध है।''

31– **पी0डब्ल्यू0–4 डा0 रविन्द्र कुमार सिंह** द्वारा मृतक नरेश कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया गया है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बतौर **प्रदर्श क–2** साबित किया है। साक्षी ने **जिरह** में कथन किया कि– पोस्टमार्टम करते समय मेरी डयूटी सी.एच.सी. सैंया पर थी। हमारी टेबिल पर पोस्ट करने हेतु अनशील्ड लायी गयी थी, उससे पूर्व मुझे नहीं पता कि बॉडी शील्ड थी या अनशील्ड थी। पोस्टमार्टम करने हेतु सी.एम.ओ. आगरा द्वारा नियुक्त किया गया था। पोस्टमार्टम करने से पहले मैंने पंचायतनामा तथा उसके साथ संलग्न प्रपत्र देखे थे। पोस्टमार्टम करते समय वीडियोग्राफी करायी गयी थी। वीडियोग्राफी चिप मेरे द्वारा सील की गयी थी जो संबंधित पुलिस को दे दी गयी थी। पोस्टमार्टम मैंने 04.40 पर शुरू किया था, खत्म करने का सही समय नहीं मालूम। मृत्यु उपरान्त अकड़न पूरे शरीर में आ चुकी थी, दोनों आंखे बंद थी, मुॅह भी बंद था, पेट आधा भरा हुआ था, पेट में पेस्टीफूड़ था। मृतक की लम्बई 5 फुट 6 इंच थी। जीभ में घाव था, जीभ मुॅह के अंदर थी। मुॅह बंद होने पर भी मैंने जीभ में घाव जबड़े टूटे होने की वजह से देख लिए थे। शरीर में तीन जगह फ्रैक्चर थे जिनमें नीचे का जबड़ा दोनों तरफ तथा ऊपर का जबड़ा व नाक में फ्रैक्चर था। मृतक के शरीर में करीब 15 चोटें थी। मृतक की चोटें किसी भारी वस्तु से कारित हो सकती है। मृतक के खून बहने का आकलन उसकी रक्तवाहीनियों तथा किस भाग में चोट लगी है, निर्भर करता है। जगह–जगह खून के थक्के जमे थे, सूखा नहीं था। खून पूरे सिर पर, चेहरे पर, कपड़ों पर था। मैंने मृतक के कपडे पी.एम. टेबिल पर देखे थे। मृतक तीन कपड़े व एक बेल्ट पहने था, जिसमें एक पेन्ट, एक शर्ट, एक अण्डरवीयर व एक बेल्ट थी। मैंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले 3–4 दिन पूर्व लिखा है, लगभग 18 घण्टे पहले मृत्यु हुई थी। यह कहना गलत है कि मैंने पोस्टमार्टम न किया हो और ना रिपोर्ट तैयार की हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर केवल हस्ताक्षर किये हो।

यह बात सही है कि बॉडी के लेफ्ट में ज्यादा चोटें थी। यह बात सही है कि पोस्टमार्टम में जो चोटें दर्शायी है, वह चोटें अलग–अलग हथियार से आना संभव है और चोटें अलग–अलग साइज की है। पोस्टमार्टम को देखकर कहा कि मृतक को छत से फेंकने पर यह चोटें नहीं आ सकती। मैं नहीं बता सकता कि कितने आदमियों द्वारा मृतक नरेश को चोटें पहुँचायी गयी थी। चोट नं. 9 जो होठों पर है, उससे व्यक्ति नहीं मर सकता। चोट नं. 8, चोट नं. 7, चोट नं. 6, चोट नं. 5 की चोटों से आदमी नहीं मर सकता। यह कहना गलत है कि मोरचरी में जो काम करने वाले कर्मचारी हो, उन्होंने शव का अवलोकन किया गया हो और मैंने बिना चोटों को देखे रिपोर्ट तैयार कर दी हो।

32– **पी0डब्ल्यू–5 एच.एम. श्यामसुन्दर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर प्रदर्श क–3 व कम्प्यूटर प्रति जी0डी0 को बतौर प्रदर्श क–4 साबित किया है। साक्षी ने **जिरह** में कथन किया कि यह बात सही है कि तहरीर पर थानाध्य क्ष के मुकदमा दर्ज करने के कोई आदेश नहीं है, लेकिन एच.एम. के पद पर तैनात होने के कारण वादी आफिस मय हमराही तहरीर लेकर आया जिसकी एफआईआर मैंने लिखी और एस.एच.ओ. साहब को सूचना की थी। तहरीर देने से पहले 112 नम्बर की सूचना के आधार पर मौके पर गया था। यह कहना गलत है कि मौके पर गये बिना वादी के गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। मैंने शिकायतकर्ता को एफआईआर की प्रति पंजीकरण होने के तुरंत बाद दे दी थी। शिकायतकर्ता तहरीर पहले लिखकर लाये थे। यह कहना सही है कि मैंने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी।

33– **पी0डब्लू0 6 उपनिरीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान** ने मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही की है। साक्षी ने पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्र, पत्र आर. आई. को बतौर **प्रदर्श क–5,** पत्र सी.एम.ओ. को बतौर **प्रदर्श क–6,** चालाननाश को बतौर **प्रदर्श क–7,** फोटोनाश को बतौर **प्रदर्श क–8,** पंचायतनामा को बतौर **प्रदर्श क–9** में रूप साबित किया है तथा साक्षी ने **जिरह** में कथन किया कि– सूचना मिलने के 15–20 मिनट में घटनास्थल पर पहुँच गया था। शव को मैंने दूर से भी व नजदीक से भी बोर में चित्त अवस्था में देखा था। घटनास्थल पर पहले इस्पैक्टर साहब व सी.ओ. साहब भी आ गए थे। शव को दो बारे में प्लास्टिक की रस्सी से बंधा हुआ देखा था। इस्पैक्टर साहब के आने पर बोरे को खोलकर देखा था। मुझे शव की पहचान बोरा खोलने पर लोगों ने बताया था कि शव मृतक नरेश का है। शव अभियुक्ता प्रेमिता के घर के बिल्कुल पीछे प्लाट में मिला था। मैंने मृतक नरेश के शव को सफेद चादर में सील करके भेजा था। मैंने पंचायतनामा के लिए पंचान राजू, प्रताप, अभिषेक, मनोज, अवनीश, नियुक्त किये थे। घटनास्थल पर लोगों ने बताया था

कि यह मृतक नरेश ही है। यह कहना गलत है कि मैंने मृतक नरेश के शव का निरीक्षण न किया हो और फर्जी तरीके से कार्यवाही की हो। मैंने वहां पहुॅचने के कुछ समय बाद पंचायतनामा भरा था। मेरे द्वारा शव की तलाशी नहीं ली गयी थी, केवल देखा था। मैंने गवाह पंचान को चोटें दिखा दी थी। पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर ना गया हूॅ और थाने बैठकर कार्यवाही पूर्ण कर दी हो।

प्रदर्श क–8 पंचायतनामा में चोट के कॉलम में– मृतक नरेश के सिर के पीछे की तरफ, सिर में दाहिनी ओर चोट खूनआलूदा, सिर में बांयी तरफ चोट खूनआलूदा, सिर पर ऊपर की तरफ चोट खूनआलूदा, बांयी तरफ गाल पर कान के पास कट खूनआलूदा, होंठ पर नीचे की व ऊपर की तरफ कट, बांयी तरफ गाल पर कट खूनआलूदा, माथे पर बीच में कट खूनआलूदा, बांयी भौंह पर कट खूनआलूदा, दाहिनी तरफ होंठ के पास कट खूनआलूदा, दाहिनी तरफ गाल पर कट खूनआलूदा। चेहरा क्षतिग्रस्त है। राय पंचान में उल्लेख किया गया है कि– मृतक नरेश की हत्या कर शव को डाला गया है। उपनिरीक्षक की राय पंचों की राय से मेल खाती है।

34– **पी0डब्ल्यू0–7 उपनिरीक्षक केवल सिंह** द्वारा **जिरह** में कथन किया गया कि– जब घटना घटित हुई थी, तब मैं थाना ताजगंज पर ही था। जब थाने से घटनास्थल के लिए निकले थे, मेरे साथ प्रभारी निरीक्षक उमेशचंद त्रिपाठी, हेड कांस्टेबिल अनिल कुमार, कांस्टेबिल अजय, महिला कांस्टेबल अल्पना मय जीप सरकारी मय ड्राईवर अरविन्द कुमार गए थे तथा घटनास्थल पर 20–25 मिनट में पहुॅच गए थे। घटनास्थल पर मुकदमा वादी व परिवारीजन मौजूद थे। सबसे पहले हम अभियुक्ता के घर गए थे। अभियुक्ता ने स्वयं सेफ में निकालकर कड़ा प्रभारी निरीक्षक को बरामद कराया था जिसकी मौके पर फर्द तैयार की गयी थी। फर्द पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे। इसके अलावा मैंने दो फर्द और बनायी थी, उस पर भी मैंने हस्ताक्षर किये थे। उसके बाद मृतक के मकान के पीछे प्लाट में से, झाड़ियों में से आलाकत्ल एक अद्धा और एक ईंट अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद की थी।

आज मेरे सामने कड़ा, ईंट, मोबाइल नहीं है और न ही नमूना मोहर है। मेरे सामने नमूना मोहर सादे कागज पर लगायी गयी थी जो पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह बात सही है कि मौजूद लोगों में से कोई गवाह नहीं बना, केवल परिवार के लोग ही बने है। जिस समय लाश बरामद हुयी थी, मैं उस समय मौजूद नहीं था। मैं नहीं बता सकता कि अभियुक्त रमाड़ा पर खड़ा हुआ हो, यह सूचना किसके द्वारा, कब और कितने बजे मिली थी। मुझे यह सूचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा दी गयी थी। मुझे वह जगह भी याद नहीं है कि हम कहां अभियुक्त को पकड़ने गए थे और मुल्जिमान

को कितने बजे पकड़ा था, याद नहीं है। मैं यह भी नहीं बता सकता कि हम अभियुक्त रविकान्त को पकड़ने जा रहे थ या अभियुक्त शशिकान्त को, गवाह ने कहा कि फाइल देखकर बताउंगा। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का समय याद नहीं है। पूरा विवरण पत्रावली में लिखा है, इस समय याद नहीं है। अभियुक्त रविकान्त की गिरफ्तारी के बाद इसकी जेब से एक मोबाइल वीवो कम्पनी का बरामद हुआ। मुझे याद नहीं है कि मोबाइल के अलावा अन्य कोई चीज बरामद हुई थी या नहीं। यह कहना गलत है कि समस्त कार्यवाही मैंने थाने पर बैठकर की हो।

35— पी0डब्ल्यू0—8 तत्कालीन क्षेत्राधिकारी/विवेचक श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में **प्रदर्श क—10** लगायत **प्रदर्श क—21** को बतौर साबित किया गया है। साक्षी ने **जिरह** में कथन किया गया कि— मेरे पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का मैंने अवलोकन कर विवेचना में स्वतंत्र गवाहों छीतर सिंह व पदम सिंह के बयान दर्ज किए गए थे। उक्त दोनों गवाह ने घटना को आंखों देखा नहीं बताया था। सम्पूर्ण विवेचना फर्द, निरीक्षण आदि पुलिस रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ही दी हुई है। घटना के समय घटनास्थल पर फोटों खींची गयी, फोटोप्रतियां प्राप्त हुई, उन्हें संलग्न किया, यह बात अक्षरशः सही है। मुझे घटना की सूचना पूर्व विवेचक व कन्ट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त हुई, मैं करीब एक घण्टे में पहुॅच गया था। घटनाथल पर पहुॅचने पर मैंने डेड बॉडी को मकान के पीछे खाली प्लाट में देखा था। घटना में प्रयुक्त बरामद सामग्री की बरामदगी स्थल का नक्शानजरी, जो पूर्व विवेचक द्वारा बनाया गया था, उसका अवलोकन किया गया। सीडीआर पर जो प्रदर्श डाले है, वे सही है एवं अभियुक्तगण व मृतक से संबंधित है। घटना से संबंधित साक्ष्य संकलित किए है, कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने विवेचना के दौरान सही तथ्यों व साक्ष्यों का संकलन न कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

यह कहना गलत है कि विवेचना के दौरान जो फोटो दाखिल किए गए हैं, उनमें मृतक का चेहरा नहीं है। यह बात सही है कि मृतक को मारते हुए, ले जाते हुए, फेंकते हुए किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा। यह बात सही है कि दौराने विवेचना मैंने कम्पनी की तरफ से जो सीडीआर मिली, उसे विवेचना के दौरान पत्रावली पर दाखिल किया। यह बात सही है कि मृतक का जो दस्तावेज मिला था, उसका अन्य दस्तावेजों से मिलान नहीं किया था। यह बात सही है कि 65बी का प्रमाणपत्र प्राइवेट कम्पनी से प्राप्त हुआ, उसी पर विश्वास कर विवेचना में शामिल किया। यह बात सही है कि सीडीआर से हम मुल्जिमों की लोकेशन निकालते है कि घटना के समय मुल्जिमान कहां था। यह सही है कि मृतक की पत्नी प्रेमिता व रविकान्त के बीच कोई प्रेमपत्र, आपस की दोनों फोटोग्राफ, ऑफसीन फोटो या प्रेम से संबधित दौराने विवेचना

मुझे नहीं मिला। यह भी सही है कि पत्रावली पर जो फोटो है, उनमें मृतक की कोई फोटो नहीं है। यह कहना गलत है कि मृतक व उसके भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हुआ हो व उन्हीं लोगों ने अपने मृतक भाई की हत्या कर दी हो। यह कहना गलत है कि मैंने सही तथ्यों पर विवेचना न की हो।

36– **पी0डब्ल्यू0–9 निरीक्षक/विवेचक उमेशचंद त्रिपाठी** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में **प्रदर्श क–22** लगायत **प्रदर्श क–29** तथा **वस्तु प्रदर्श 3 लगायत वस्तु प्रदर्श 30** को बतौर साबित किया गया है। साक्षी ने **जिरह** में कथन किया कि– इस मुकदमे में मृतक का नाम नरेश है। इस अपराध में कुल तीन अभियुक्तगण है। मैंने कुल आठ पर्चे काटे है। मुझे सूचना 112 के इवेन्ट से प्राप्त हुयी थी। सूचना के तुरन्त बाद में घटनास्थल पर पहुँचा था। मृतक के घर के पीछे खाली प्लाट में मृतक का शव देखा था। जब मैं घटनास्थल पर पहुँचा था तो मृतक के पिता मौजूद थे। मृतक के पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शव की शिनाख्त नहीं करायी थी। जब मैं पहुँचा था तो शव बोरे में था, बोरा खुला हुआ था। मृतक के शरीर के पास मृतक की हत्या का आलाकत्ल हथियार बरामद नहीं हुआ था। हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट को मृतक से कुछ दूरी पर मिला था। मृतक का शव मृतक के मकान से लगभग 3–4 फुट दूर होगा। मृतक की हत्या उसके घर के अंदर हुयी थी। मृतक की हत्या ईंटों से की गयी थी, लेकिन वहां खून के निशान नहीं मिले। मृतक की जहां हत्या हुई थी वहां की फोटोग्राफी मेरे द्वारा नहीं की गयी है। दौराने विवेचना मैंने घटनास्थल, मृतक की बरामदगी, आलाकत्ल की बरामदगी, जहां से खूनआलूदा कपड़े व अन्य सामान बरामद हुए थे, निरीक्षण कर नक्शानजरी बनायी थी। अभियुक्त शशिकान्त ने हत्या के उपरान्त अपना मोबाइल नष्ट कर दिया था जो घटना के समय लेकर आया था। मेरे द्वार सी. सी.टी.वी. के कैमरे नहीं देखे गये थे। अभियुक्तगण मृतक के घर के पीछे एक टूटे मकान की दीवार के साहरे आये थे। मृतक की हत्या के लिए अभियुक्तगण ईंट बाहर से लाये थे। हत्या के लिए अभियुक्ता के अलावा दो अन्य लोग आये थे जो दो ईंट लेकर आये थे जिसमें एक अद्धा था। मेरे द्वारा विवेचना के दौरान परिवारीजनों के अलावा अन्य किसी के बयान नहीं लिये थे क्योंकि भलाई–बुराई के डर से कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। फोटो फील्ड यूनिट ने खींचे थे। यह बात सही है कि इस केस में हत्या करते हुए किसी ने नहीं देखा है। यह बात सही है कि घटनास्थल पर जहां पर उसकी हत्या की गयी, वहां पर कोई ब्लड के निशान नहीं मिले है। यह बात सही है कि मृतक की हत्या करके छत से खाली प्लाट पर फेंक दिया गया था। मैंने मृतक के शरीर को बोरे से निकालकर उलट–पलट कर देखा था। पत्रावली पर जो फोटो लगे हैं, उनकी मुझे जानकारी है जिसमें मृतक का स्पष्ट चेहरा नहीं दिख रहा है। यह कहना गलत है कि मृतक की हत्या घर में न हुई

हो। यह कहना भी गलत है कि मृतक की हत्या कहीं और करके, शव को प्लाट में फेंक दिया है।

यह बात सही है कि तहरीर अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के नामजद नहीं थी। यह बात भी सही है कि तहरीर में अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त, प्रेमिता के प्रेमप्रसंग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। यह बात सही है कि दौराने विवेचना ऐसा कोई साक्ष्य, गवाह नहीं मिला कि घटना वाले दिन किसी ने अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त को मृतक के घर में घुसते हुए देखा हो। यह बात सही है कि घटना वाले दिन मोटरसाइकिल कहां खड़ी की थी, मैंने नक्शानजरी में नहीं दर्शाया है। यह कहना सही है कि अभियुक्त रविकान्त के कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं मिले थे। यह बात सही है कि दिनांक 08.06.2021 को जो सामान की बरामदगी फील्ड यूनिट द्वारा दर्शायी गयी है वह घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी से प्राप्त हुआ है। यह बात सही है कि मृतक और अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के बीच संपत्ति व किसी पैसे को लेकर कोई विवाद नहीं था। यह सही है कि अभियुक्ता प्रेमिता व अभियुक्त रविकान्त के बीच कोई फोटोग्राफ साक्ष्य नहीं मिले। मृतक अपनी पत्नी को लेकर वादी मुकदमा के मकाने से अलग रहता था। यह बात सही है कि अभियुक्तगण को घटनास्थल से जाते हुए मोटरसाइकिल पर किसी साक्षी ने नहीं देखा है। साक्षी को नक्शानजरी दिखाया गया तो देखकर बताया कि यह सही है कि मुल्जिमानों के आने व जाने का रास्ता किसी निशान बनाकर नहीं दर्शाया गया है। यह सही है कि मैंने किसी भी चौकीदार के बयान नहीं लिए थे। यह बात सही है कि घर के अंदर रस्सी के टुकडे कटे–फटे नहीं मिले। यह बात सही है कि घटनास्थल में जो ईंट दर्शायी है, वह सभी जगह मिल जाती है। यह बात भी सही है कि लाश को खींचते हुए व ले जाते हुए खून के निशान नहीं मिले। ये बात भी सही है कि छत पर खून के निशान नहीं मिले। यह बात सही है कि लाश के पास कपड़े के बोरे खूनआलूदा के नहीं मिले, दूर मिले थे, दूरी कितने पर मिले थे, याद नहीं है। यह बात सही है कि जहां पर बोरे मिले थे वहां भी खूनआलूदा नहीं मिला था। यह बात सही है कि समस्त केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है, डायरेक्ट एवीडेंस का कोई साक्ष्य नहीं है। यह बात सही है कि मैंने मुल्जिमान के इकबालिया बयान के उपर अभियुक्त बनाया है। यह मुझे जानकारी नहीं है कि अभियुक्ता प्रेमिता, महिला अध्यक्ष मोर्चा की कर्मठ बी.जे.पी. की कार्यकर्ता थी। मैंने यह भी जानकारी नहीं कि अभियुक्त रविकान्त बी.जे.पी. का प्रचारक कार्यकर्ता है। मृतक के शरीर में किस–किस भाग पर खून के निशान थे, नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि सही तथ्यों पर जांच न की हो, वादी के कहने पर अभियुक्तगण को मुल्जिम बना दिया हो।

37– यद्यपि इस मामले में घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, समस्त घटना तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विधि व्यवस्था **शरद विरधी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 (4) एससीसी 116** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो तो ऐसा साक्ष्य अवश्य ही निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करता हो :–

1. The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established, 2. The facts so established should be consistent with the hypothesis of guilt and the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty, 3. The circumstances should be of a conclusive nature and tendency, 4. the should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, 5. There must be a chain of evidence so complete as not to leave nay reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and musht show that in all human probability the act must have been done by the accused. विधि व्यवस्था– **सी0 चंगा रेडडी बनाम आन्ध प्रदेश राज्य 1996 (10) एस.सी.सी. 193** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में सुस्थापित विधि यह है कि परिस्थितियॉ जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, वह पूर्ण रूप से साबित होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियॉ अवश्यमेव निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए तथा इसके अतिरिक्त सभी परिस्थितियॉ पूर्ण होनी चाहिएं और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई भी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त साबित की गयी परिस्थितियॉ केवल अभियुक्तगण की दोषिता की संकल्पना अवश्यमेव भी संगत और उसकी निर्दोषिता की पूर्ण रूप से असंगत होनी चाहिए। विधि व्यवस्था–**पडाला वीरा रेडडी बनाम आन्ध प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट 79** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो तो ऐसा साक्ष्य अवश्य ही निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करता हो :– 1. वह परिस्थितियॉ जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाने जाने की ईप्सा की जाए, अवश्यमेव ही तर्कपूर्ण रूप से और दृढ़ता से सिद्ध की जानी चाहिए, 2. वे परिस्थितियॉ निश्चायक प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो बिल्कुल सही रूप में अभियुक्त की दोषिता की ओर संकेत करतीं हों, 3. परिस्थितियों को एक साथ जोड़े जाने पर एक ऐसी पूरी श्रृंखला बननी चाहिए जिससे पूर्णतया यह निष्कर्ष निकलता हो कि सभी मानवीय अधिसम्भावताओं के अन्तर्गत अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, 4. दोषसिद्ध को कायम ठहराने के लिए परिस्थितिजन्य

साक्ष्य अवश्यमेव ही पूर्ण होना चाहिए, वह और अभियुक्तगण की दोषिता के भिन्न कोई संकल्पना प्रकृट करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्तगण की दोषिता के संगत होना चाहिए, अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत होना चाहिए।

38– अभियुक्तगण प्रेमिता, रविकान्त व शशिकन्त ने धारा 313 दं0प्र0सं0 में साक्षीगण द्वारा गलत व झूॅठी गवाही दिया जाना, विवेचक द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर विवेचना कर गलत आरोपपत्र प्रस्तुत किया जाना, झूॅठी व गलत बरामदगी किया जाना, झूॅठा मुकदमा चलाये जाने का कथन किया है, किन्तु उपरोक्त तथ्य के बिन्दु पर अभियुक्तगण द्वारा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

39– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न मृतक नरेश की विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट दिनांकित 29.01.2025 में यह अंकित है कि वस्तु (1) से (4), (8), (10), (12) से (16), (18), (21) व (22) पर मानव रक्त पाया गया। अतः मामला पूर्णतः साबित नहीं होता है।

40– अभियोजन पक्ष की और से मौखिक साक्ष्य में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा सुरेशचंद, साक्षी पी0डब्लू0 2 सोनू, साक्षी पी0डब्लू0 राजू व साक्षी पी0डब्लू0 10 लवली एवं अन्य औपचारिक साक्षीगण के द्वारा कथित घटना का समर्थन किया गया है। यद्यपि इस कथित घटना में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, परंतु उपरोक्त घटना तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

41– इस घटना के अभियोजन तथ्य इस प्रकार है कि मृतक नरेश व अभियुक्ता प्रेमिता पति–पत्नी थे, इन दोनों पति–पत्नी के संसर्ग से दो पुत्र व एक पुत्री पैदा हुई। विवाद के कुछ दिनों बाद तक मृतक नरेश व उसकी पत्नी प्रेमिता का मृतक के पिता/वादी सुरेशचंद के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चलने लगा। विवाद के चलते मृतक व उसकी पत्नी अपने तीन बच्चों को लेकर कथित घटना वाले मकान पुष्पांजलि होम्स, नगला कली, ताजगंज, आगरा में किरायेदार के रूप में रहने लगे जो मकान वादी मुकदमा के पैतृक मकान से लगभग 7–8 किलोमीटर दूर था। बाद में मृतक की पत्नी प्रेमिता, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की सदस्या बनी। इसी बीच प्रेमिता की जान–पहचान अभियुक्तगण रविकान्त व उसके भाई शशिकान्त से हुई तथा अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त व प्रेमिता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी एवं अभियुक्तगण रविकान्त व प्रेमिता के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। मृतक नरेश, अपनी पत्नी प्रेमिता/अभियुक्ता व अभियुक्त रविकान्त के बीच नजदीकियां देखकर पत्नी/अभियुक्ता पर शक करने लगा, इसी बात को लेकर मृतक नरेश व उसकी पत्नी में आयेदिन पारिवारिक कलह होने लगी। इस पारिवारिक कलह के बारे में मृतक के परिवारीजन वादी/पिता व उसके भाई सोनू व संजय को जानकारी हुई, जबकि अभियुक्ता घरेलू महिला थी तथा मृतक जूता फैक्टरी का कारोबार करता था,

जिससे मृतक शाम को घर लौटता था। कथित घटना दिनांक 08.06.2021 के पहले श्रीमती प्रेमिता अपने मित्र रविकान्त के साथ कुछ दिनों के लिए जेवर, दो लाख रूपये लेकर व अपनी पुत्री को लेकर शिकोहाबाद भाग गयी थी, जिसकी शिकायत मृतक के द्वारा थाना व मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गयी, जो पत्रावली पर दाखिल है तथा विवेचना के दौरान भी यह तथ्य प्रकाश में आया है। इस घटना के कारण मृतक नरेश को अपनी पत्नी पर शक और गहरा हो गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्ता के बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 तथा अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता प्रेमिता व अभियुक्त रविकान्त के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गयी थी कि अभियुक्त रविकान्त व अभियुक्ता प्रेमिता के द्वारा मृतक नरेश को बीच से हटाने के लिए अभियुक्त रविकान्त ने अपने भाई शशिकान्त की सहायता के जरिये मृतक नरेश को मारने की योजना बना डाली। इस योजना से पूर्व अभियुक्तगण रविकान्त, शशिकान्त व अभियुक्ता प्रेमिता की दिन में कई बार मोबाइल से वार्तालाप हुआ करती थी। कथित घटना दिनांक 08.06.2021 को जब मृतक नरेश शाम को जूता फैक्टरी से लौटता है तो अभियुक्ता प्रेमिता व मृतक नरेश के बीच झगड़ा शुरू हुआ तथा झगड़ा होते समय अभियुक्ता द्वारा अपने तीनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया तथा बाहर से कुण्डी लगा दी गयी एवं टी.वी. की आवाज तेज कर दी, जिससे झगड़े की आवाज बाहर सुनायी न पड़े। इसी दौरान अभियुक्ता प्रेमिता के द्वारा फोन करके अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त को बुला लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिये गये बयान में यह तथ्य स्वीकार किया गया कि अभियुक्ता श्रीमती प्रेमिता व अभियुक्त रविकान्त के बीच इतनी नजदीकियां हो गयी थी कि वह एक–दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए अभियुक्तगण रविकान्त, शशिकांत व प्रेमिता ने मिलकर कथित घटना के दिन, रात्रि 10–11 के बीच अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त अपने साथ लाये ईंट व अद्धा से मृतक नरेश के सिर व चेहरे प्रहार करके गंभीर चोटें पहुॅचायी जिससे अत्याधिक रक्तस्राव होने के कारण मृतक नरेश को मृत्यु होना संभव थी तथा तीनों अभियुक्तगण ने मृतक नरेश की लाश को छिपाने के लिए कथित घटना वाले मकान के पीछे, खाली प्लाट में फेंक दिया एवं घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित कपड़े, तकिया, चादर व हाथ के गिलिब्स व ईंट का अद्धा को भी घटनास्थल के पीछे प्लाट में फेंका गया था। रात्रि करीब 03.30 बजे अभियुक्ता प्रेमिता के द्वारा अपने बच्चों को कमरे की कुण्डी खोलकर बाहर निकाला गया। बच्चों ने अपने पिता के बारे में अभियुक्ता प्रेमिता से पूछा गया तो अभियुक्ता द्वारा बच्चों को डराकर पुनः सुला दिया गया तथा अभियुक्ता प्रेमिता ने प्रातः होने पर अपने देवर सोनू को उसक भाई मृतक नरेश के घर न लौटने की सूचना फोन से दी गयी। सोनू व वादी/पिता सुबह मृतक

नरेश के घर पहुॅचे तो घर के पीछे एक प्लाट में मृतक नरेश की बोरा में बंद लाश पड़ी मिली। वादी को मृतक की पत्नी/अभियुक्ता पर शक हुआ तथा वादी ने घटना के तुरन्त बाद थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी। पुलिस घटनास्थल पर पहुॅची तथा मृत्यु का कारण जानने के लिए लाश का पोस्टमार्टम कराया एवं विवेचना प्रारंभ की गयी। दौराने विवेचना अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त का नाम प्रकाश में आया तथा अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके बयान के आधार पर घटना में घटना में प्रयुक्त एक ईंट व एक अद्धा रक्तरंजित लाश से थोड़ा दूरी पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के बताये गये स्थल से मृतक के भाई सोनू की मौजूदगी में बरामद किये गये जिसे मौखिक साक्ष्य से फर्द बरामदगी प्रदर्श क–27 के रूप में साबित किये गये एवं अभियुक्तगण द्वारा दिये गये बयान के आधार पर प्लाट में पड़ी लाश से लगभग 100 फुट की दूरी पर तकिया, चादर, हाथ गिलिब्स, बेल्ट व अन्य वस्तुए बरामद की गयी जिनको वस्तु प्रदर्श 3 लगायत 30 के रूप में साबित किया गया है। अभियुक्ता प्रेमिता से बरामद मोबाइल की फर्द को प्रदर्श क–24 तथा अभियुक्त रविकान्त से बरामद मोबाइल की फर्द को 26 के रूप में साबित किया गया है एवं अभियुक्ता प्रेमिता से बरामद एक अद्द टूटे हुए कड़ा की फर्द को प्रदर्श क–25 के रूप में साबित किया गया है। मृतक की लाश के कुछ दूरी पर पड़े हुए ईंट व अद्धा रक्तरंजित को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मानव रक्त पाया गया। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त व शशिकान्त द्वारा मृतक नरेश कुमार की ईंट व अद्धा से मारकर मृत्यु कारित की गयी है।

42– अभियोजन पक्ष की और से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि मृतक नरेश और अभियुक्ता प्रेमिता पति–पत्नी थे तथा मृतक नरेश की पत्नी/अभियुक्ता प्रेमिता के नाजायज रिश्ते/संबंध अभियुक्त रविकान्त से हुए जिसके कारण पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न हुई और मृतक नरेश द्वारा अपनी पत्नी/अभियुक्ता को शक की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसी बीच अभियुक्ता प्रेमिता उर्फ प्रमिता ने अभियुक्त रविकान्त के साथ मिलकर मृतक नरेश को मारने की साजिश रची तथा कथित घटना की तिथि को अभियुक्त रविकान्त के द्वारा अपने भाई/अभियुक्त शशिकान्त से मिलकर मृतक नरेश को ईंट व अद्धा से मारकर मौत के घाट उतार दिया तथा शव को छिपाने के लिए बोरे में भरकर घर के पीछे एक खाली पड़े प्लाट में फेंक दिया गया।

भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 34– सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य**– जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रदार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

43– इस प्रकार अभियुक्तगण प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त व शशिकान्त द्वारा किया गया अपराध धारा 302/34, 201/34 भा0दं0सं0 साबित होता है तथा अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के द्वारा मृतक नरेश कुमार की हत्या यह जानते हुए की गयी कि वह अनुसूचित जाति, जाटव समुदाय का व्यक्ति है, अतः अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त के विरूद्ध धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अंतर्गत भी अपराध साबित होता है।

44– अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त व शशिकान्त के विरूद्ध लगाये गए आरोप को मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्ता प्रेमिता उर्फ प्रमिता लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302/34, 201/34 भा0दं0सं0 तथा अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302/34, 201/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

45– अभियुक्ता प्रेमिता उर्फ प्रमिता को धारा 302/34, 201/34 भा0दं0सं0 के अपराध में तथा अभियुक्तगण रविकान्त व शशिकान्त को धारा 302/34, 201/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

46– अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू निरस्त किये जाते है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक–21.07.2026

(शिव कुमार-II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट),
आगरा।

दिनांक 21.07.2026

47– पत्रावली दण्डादेश हेतु लंच उपरांत पेश हुई। दोषसिद्धगण अभियुक्तगण **अभियुक्ता प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त** व **शशिकान्त** न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

48– न्यायालय द्वारा दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता, दोषसिद्धगण को व्यक्तिगत रूप से तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक, वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

49– दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्धगण का प्रथम अपराध है तथा दोषसिद्धगण जेल में निरूद्ध रह चुके हैं। दोषसिद्धगण पर परिवारिक जिम्मेदारी है। अतः दोषसिद्धगण को कम से कम सजा व कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये।

50– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्धगण अभियुक्तगण द्वारा मिलकर किया गया अपराध जघन्य है व सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील है। मृतक के छोटे–छोटे बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में दोषसिद्धगण अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाये।

51– उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि दोषसिद्धगण द्वारा वादी पक्ष, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, मृतक नरेश कुमार की हत्या ईंट व अद्धा से सिर व चेहरे पर मारकर मृत्यु कारित की गयी है अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्धगण को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

दण्डादेश

विशेष सत्र परीक्षण सं0 142/2021, राज्य बनाम रविकान्त आदि, अपराध संख्या–370/2021, थाना ताजगंज, जिला आगरा के अन्तर्गत दोषसिद्धगण अभियुक्तगण **प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त** व **शशिकान्त** को **धारा–302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0** के अपराध में **आजीवन सश्रम कारावास** व **मु0 50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार) रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्धगण को **02–02 (दो–दो) वर्ष** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्धगण अभियुक्तगण **प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त** व **शशिकान्त** को **धारा–201 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0** के अपराध में **03–03 (तीन–तीन) वर्ष के सश्रम कारावास** व **मु0 10,000–10,000/– (दस–दस हजार) रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्धगण को **06–06 (छः–छः) माह** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्धगण अभियुक्तगण **रविकान्त** व **शशिकान्त** को **धारा–3(2)5 एस.सी./एस टी. एक्ट** के अपराध में **आजीवन सश्रम कारावास** व **मु0 50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार) रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्धगण को **02–02 (दो–दो) वर्ष** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्धगण **प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त** व **शशिकान्त** की उपरोक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगीं। दोषसिद्धगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित की जाएगी।

दोषसिद्धगण के ऊपर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड में से 50 प्रतिशत धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति मृतक के पिता/वादी मुकदमा को अदा की जाएगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में निहित की जाएगी।

दोषसिद्धगण **प्रेमिता उर्फ प्रमिता, रविकान्त** व **शशिकान्त** का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें उपरोक्त शास्ति भुगतने हेतु जिला कारागार, आगरा भेजा जाए।

दोषसिद्धगण को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक–21.07.2026

(शिव कुमार-II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट),
आगरा।

आज, यह निर्णय, मेरे द्वारा, हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–21.07.2026

(शिव कुमार-II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.07.22 15:50:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court